



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062023-246684
CG-DL-E-20062023-246684

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2023/ज्येष्ठ 30, 1945

No. 150]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2023/JYAISHTHA 30, 1945

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 20 जून, 2023

सं. 44011/2(एस)/2022-स्था.(ख-II).—भारत सरकार के दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के संकल्प सं. 44011/6(एस)/2019-स्था.(ख-II) के साथ पठित, दिनांक 03 मार्च, 1987 के संकल्प सं. 27(21)-ईओ/86(सीसी) में संकल्प का पैरा 7.2 निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

सरकार की नीति निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया के माध्यम से स्तर-I और स्तर-II पदों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा यथानिर्धारित किन्हीं अन्य स्तर के पदों पर उत्कृष्ट व्यावसायिक (प्रोफेशनल) प्रबंधकों को नियुक्त करने की है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधकों के संवर्ग को विकसित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। इसलिए, जब तक बाहर से अधिक बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत आंतरिक उम्मीदवारों को ही बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति हेतु वरीयता दी जाएगी। आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, चाहे वह उसी व्यापार क्षेत्र के हों या अन्य क्षेत्र के, में कार्यरत उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। समान क्षेत्र अथवा समूह, ऐसा न होने पर संपूर्ण के रूप में सार्वजनिक क्षेत्रों, के उद्यमों के बीच प्रबंधकीय कार्मिकों की गतिशीलता को कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष मामलों में, अखिल भारतीय सेवाएं

(एआईएस) एवं भारतीय सशस्त्र बलों सहित केंद्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/स्वायत्त निकायों आदि के समान रैंक/ग्रेड में अधिकारियों को भी, योग्यता मानदण्ड पूर्ण करने के अधीन, गैर-आंतरिक उम्मीदवार माना जाएगा।

“अर्हता मानदण्डों को पूरा करने के अध्याधीन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों पर भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ दिनांक 10.06.2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए गैर-आंतरिक उम्मीदवारों के रूप में विचार किया जाएगा।”

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सभी अन्य संबंधितों को प्रेषित की जाए।

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th June, 2023

No. 44011/2(s)/2022-Estt.(B-II).—In Resolution No.27(21)-EO/86(CC), dated 3rd March, 1987, read with GoI Resolution No.44011/6(s)/2019-Estt.(B-II), dated 30th December, 2021, para 7.2 of the Resolution shall be replaced by:

The policy of the Government is to appoint through a fair and objective selection procedure outstanding professional managers to Level-I and Level-II posts and posts at any other level as may be decided by the Government from time to time. Government has also recognized the need to develop a cadre of professional managers within the public sector. Hence, unless markedly better candidates are available from outside, internal candidates, employed in the public sector enterprises, will be preferred for appointment to Board level posts. If internal candidates are not available, preference will be given to candidates working in other public sector enterprises, either in the same area of business or in other areas. Mobility of managerial personnel among public sector enterprises within the same sector or group, failing which mobility within the public sector as a whole will be encouraged, subject to certain limitations. *In special cases, Group 'A' officers of the Central Government including All India Services (AIS) & Armed Forces of India and officers in equivalent rank/ grade from Public Sector Banks/ Financial Institutions/ Autonomous Bodies, etc. subject to fulfilling the eligibility criteria will also be considered as non-internal candidates.*

“Candidates from State Public Sector Enterprises and the private sector subject to fulfilling the eligibility criteria will also be considered as non-internal candidates along with the candidates of other public sector enterprises for a period of five years with effect from 10.06.2021”.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary, Part I Section I. Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/ Departments of the Government of India, State Governments/ Administration of Union Territories, Public Sector Undertakings and all other concerned.

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.